

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि १२ जून, १९७० ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन १८वां के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि १२ जून, १९७० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री राम नारायण मंडल के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोंत्तर :

प्रबंधक पर कार्रवाई ।

२१६। श्री कालिका प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(१) पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा व्यापार मंडल में सन् १९६८-६९ के नवम्बर मास तक कितने रुपये का घाटा दिखलाया गया था ;

(२) क्या यह बात सही है कि उल्लिखित घाटे के सम्बन्ध में तत्कालीन मैनेजर के विरुद्ध स्थानीय पदाधिकारियों ने उच्च अधिकारियों के पास १९६८-६९ में रिपोर्ट की थी तथा उक्त मैनेजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध १९६८-६९ में किया था ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त मैनेजर के ऊपर सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की ?

श्री जम्बर हुसैन-- १) पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा व्यापार मंडल में सन् १९६८-६९ के नवम्बर मास तक सहायक निबंधक, पूर्णिया के प्रतिवेदन के अनुसार कुल १३,२१७ रुपया ६३ पैसे स्टोक में घाटा दिखलाया गया है लेकिन इसकी संपुष्टि अभी अंकेक्षण द्वारा नहीं हो पायी है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) व्यापार मंडल के लेखा का दिनांक ३० जून, १९६९ तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अधिभार (सरचाजे) की कार्रवाई की जायगी ।

बकाये रुपये का भुगतान ।

१०२० । श्री भूषण प्रसाद गुप्त—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री एकरामूल हक, मुखिया, कदमपुरा पंचायत किशनपुर, अंचल, सहरसा जिला ने १९६५-६६ में कठिन श्रम योजना में कुछ काम किया था जिसमें ५३३ रु० अभी तक बाकी है और जिसका भुगतान अंचलाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—उत्तर स्वीकारात्मक है, वर्तमान उपलब्ध राशि से समाहर्ता द्वारा भुगतान किया जा रहा है ।

विस्थापितों का पुनर्वास ।

१०२४ । श्री तारणी प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मुंगेर बड़हिया थाना के अन्दर किशनपुर ग्राम गत वर्ष गंगा की भीषण बाढ़ से कट गया है;

(२) क्या यह बात सही है कि उस ग्राम में ७०० (सात सौ) परिवार के लोग हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग हैं, वे बेघरवार हो गये हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि ये लोग अधिकतर भूमिहीन हैं एवं इन लोगों के रहने के लिए किसी तरह का साधन नहीं है;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन विस्थापितों को बसाने के लिए कौन-सा प्रबन्ध कबतक करने जा रही है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) अपर समाहर्ता के प्रतिवेदन के अनुसार ६२७ निस्सहाय परिवार हैं जो कटाव-ग्रस्त हैं ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है ?

(४) ६२७ कटावग्रस्त परिवारों में से ३०० परिवारों को ग्राम गोपी जागीर में पुनर्वास कराने का निश्चय किया गया था तथा शेष ३२० परिवारों को ग्राम उफरील में । ग्राम गोपीजागीर में पुनर्वास के सम्बन्ध में पक्ष तथा विपक्ष दोनों में कई आवेदन-पत्र पड़े । ग्राम उफरील में इतने परिवारों के लिए जमीन उपलब्ध होने में कठिनाई है